मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक 543 / 507 / 2019 / ब–1 / चार, भोपाल, दिनांक 31 / 08 / 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः– विनियोग लेखे (2018–19) के प्रस्तावित प्रारूप में उल्लेखित अन्तिम बचत / अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित करने बावत्।

संदर्भः– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का पत्र क्रमांक / रिपोर्ट (विनि.लेखे) / 18–19 / डी.–323, दिनांक 14.08.2019 ।

–::000::–

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम,मध्यप्रदेश,ग्वालियर से प्राप्त होने वाले प्रारूप लेखे की प्रति, जिसे मध्यप्रदेश राज्य के विनियोग लेखे 2018–19 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, प्रारूप में दर्शित राशियों का सत्यापन करायें। अन्तिम बचत / अन्तिम आधिक्य के साथ प्रत्याशित बचत / पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि (जिन शीर्षो में कारण नहीं दिये गये है उनमें) के विशिष्ट कारण निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करने हेतु अनुरोध है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कर महालेखाकार एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा0क्रमांक 544 / 507 / 2019 / ब–1 / चार, भोपाल, दिनांक 31 / 08 / 2019

प्रतिलिपिः

1/ प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम,मध्यप्रदेश,ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्र./रिपोर्ट (विनि.लेखे)/2018–19/डी– 323

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम
मध्यप्रदेश, ग्वालियर - 474002

PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A & E) - I
MADHYA PRADESH, GWALIOR - 474002

सत्यमेव जयते

दिनांक / Date : 14-8-19

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल
Email ID-secyfinance@mp.gov.in

826
27/08/19

विषयः– विनियोग लेखे (2018–19) के प्रस्तावित प्रारूप में उल्लेखित अन्तिम बचत/अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित करने बावत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निकट भविष्य में इस कार्यालय द्वारा विनियोग लेखे के विभिन्न विभागों से संबंधित अनुदानों के जारी किये जाने वाले प्रस्तावित प्रारूपों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पूर्व वर्षों में विनियोग लेखे की अधिकांश टिप्पणियों में अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण विभागों द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं। जिस पर लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त विनियोग लेखे 2017–18 में "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र" में ध्यानाकर्षण के महत्वपूर्ण मामले के स.क्र.–2 में भी बचत/आधिक्य के कारणो कों उपलब्ध न कराये जाने का उल्लेख है जिसके कारण विनियोग लेखे में समुचित व्याख्या नहीं की जा सकी है।

अतः अनुरोध है कि मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों एवं बजट नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम म.प्र., ग्वालियर से प्राप्त होने वाले प्रारूप लेखे की प्रति, जिसे मध्यप्रदेश राज्य के विनियोग लेखे–2018–19 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। प्रारूप में दर्शित राशियों का सत्यापन कराये। अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के साथ ही प्रत्याशित बचत/पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि (जिन शीर्षों में कारण नहीं दिये गये हैं उनमें) के विशिष्ट कारण इस कार्यालय को निर्धारित समय सीमा में भेजे। ताकि उन्हें विनियोग लेखे (2018–19) में सम्मिलित किया जा सके।

भवदीय,

(रवीन्द्र पत्तार)
प्रधान महालेखाकार

"लेखा भवन", झांसी रोड, ग्वालियर - 474002
दूरभाष : 0751-2372021, 2426452, 2322400
"Lekha Bhawan", Jhansi Road, Gwalior - 474002
Telephones : 0751-2372021, 2426452, 2322400